



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092021-230014
CG-DL-E-28092021-230014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]
No. 547]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 664(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा वर्णित, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 को एतद्वारा अनुमोदित करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (1) इन विनियमों को पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2011 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः:-

“नियुक्ति का तरीका:-

4. (1) ऐसे पदों, जिन पर यह विनियम लागू होते हैं, की सभी नियुक्तियां इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्ति या तो पदोन्नति या आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

(2) विभाग अध्यक्ष के रूप में माने गए पदों और विभाग अध्यक्ष के एक स्तर नीचे के पदों के संबंध में नियुक्तियां, सभी रिक्तियों को “भर्ती की संयोजन पद्धति” द्वारा पदोन्नति या आमेलन पर स्थानांतरण के आधार पर भरा जाएगा, इसमें असफल होने पर महापत्तनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति और इन दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती से की जाएंगी।

(3) पदोन्नति या आमेलन पर स्थानांतरण इन विनियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले महापत्तन न्यासों के अधिकारियों से किया जाएगा।

(4) पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले महापत्तनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति की जाएगी:

बशर्ते कि किसी महापत्तन न्यास के बोर्ड का कोई कर्मचारी, महापत्तन न्यासों में विभाग अध्यक्ष स्तर के पद के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(5) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है, जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियों में यदि किसी पद के मामले में, उसके पदाधिकारी को विभागाध्यक्ष माना गया हो, तो केंद्र सरकार द्वारा और विभागाध्यक्ष के स्तर के नीचे वाले किसी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा इसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।”

3. मूल विनियमों में, अनुसूची में,-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी-I पदों हेतु भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत, सचिव (श्रेणी-II पत्तनों) के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने -

(क) कॉलम 2 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः -

“सचिव”

(ख) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/-रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ग) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“संयोजन पद्धति से आमेलन:

(i) किसी महापत्तन न्यास के सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान में पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति:

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) में 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले सचिव या समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विकास विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. या इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप सचिव और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बैचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

(ख) वित्त और लेखा विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी-I पदों हेतु भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (श्रेणी-II पत्तनों) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने -

(क) कॉलम 2 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी”;

(ख) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ग) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, नामतः:-

‘संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलन हेतु:

(i) किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे;

प्रतिनियुक्ति:

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के वित्त विभाग में 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या वित्त विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. या इससे अधिक के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन, योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बैचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

(ग) ईएंडएम विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी-I पदों के लिए भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत मुख्य यांत्रिकी अभियंता (श्रेणी-II पत्तनों) के पद से संबंधित क्रम सं.9 के सामने,-

(क) कॉलम 2 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

“मुख्य यांत्रिकी अभियंता”;

(ख) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

“1,00,000 – 2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ग) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

‘संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलन हेतु:

(i) किसी महापत्तन न्यास के यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभाग और मरीन विभाग (केवल मरीन अभियंताओं की श्रेणी के लिए लागू) में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले 90,000-2,40,000/- रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी और तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान के पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति:

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभाग में 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य यांत्रिकी अभियंता और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप मुख्य यांत्रिकी अभियंता और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

(घ) यातायात विभाग, पीपीटी के अंतर्गत के श्रेणी-1 पदों हेतु भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत यातायात प्रबंधक के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने,-

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलन हेतु:

(i) किसी महापत्तन न्यास के यातायात विभाग में इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे;

प्रतिनियुक्ति:

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के यातायात विभाग में 1,00,000- 2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले यातायात प्रबंधक और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या यातायात विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक और इसके समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बैचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

(ङ) चिकित्सा विभाग, पीपीटी के अंतर्गत के श्रेणी-I पदों हेतु भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (श्रेणी-II पदों) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने -

(क) कॉलम 2 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः:-

“मुख्य चिकित्सा अधिकारी”;

(ख) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, नामतः:-

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ग) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए, नामतः:-

‘संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेसन हेतु:

(i) किसी महापत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति:

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के चिकित्सा विभाग में 1,00,000- 2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या चिकित्सा विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बैच मार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

(च) सिविल अभियांत्रिकी विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी-I पदों के लिए भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत मुख्य अभियंता के पद से संबंधित क्रम सं.6 के सामने,-

(क) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः : -

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

(ख) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः : -

‘संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेसन हेतु:

- (i) किसी महापत्तन न्यास के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 80,000-2,20,000/- रु. के वेतनमान के पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति:

- (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य अभियंता और समतुल्य पद धारित करने वाले अधिकारी या सिविल अभियांत्रिकी विभाग में 80,000-2,20,000/- रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप मुख्य अभियंता और समतुल्य पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

- (छ) मरीन विभाग, पीपीटी के अंतर्गत श्रेणी-I पदों के लिए भर्ती नियम शीर्षक के अंतर्गत उप संरक्षक (श्रेणी-II पत्तनों) के पद से संबंधित क्रम सं.1 के सामने,-

- (क) कॉलम 2 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

“उप-संरक्षक”

- (ख) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

“1,00,000-2,60,000/- रु.

टिप्पणी: तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 1,20,000-2,80,000/- रु. के वेतनमान में उन्नयित किया जाएगा”;

- (ग) कॉलम 12 में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

‘संयोजन पद्धति के माध्यम से आमेलन हेतु:

- (i) किसी महापत्तन न्यास में इस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा वाले 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा दो वर्ष की नियमित सेवा वाले 90,000-2,40,000/- रु. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति:

- (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय (महापत्तनों से अलग) के 1,00,000-2,60,000/- रु. के वेतनमान में इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले उप-संरक्षक और समतुल्य डेक साइड पद धारित करने वाले अधिकारी या 90,000-2,40,000/- रु. और इससे अधिक के वेतनमान में इस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा वाले हार्बर मास्टर और समतुल्य डेक साइड पदों को धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क “बहुत अच्छा” से नीचे नहीं होगा।

[फा. सं. पीआर-24021/3/2021-पीई-II]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य विनियम सा.का.नि. सं. 386(ई) के तहत दिनांक 12 मई, 2011 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उन्हें तदुपरांत निम्नलिखित सा.का.नि. सं. के तहत संशोधित किया गया था।

- (i) सा.का.नि. 819(ई) दिनांक 30 अक्तूबर, 2015
- (ii) सा.का.नि. 1102(ई) दिनांक 13 नवंबर, 2018
- (iii) सा.का.नि. 1143(ई) दिनांक 29 नवंबर, 2018
- (iv) सा.का.नि. 759(ई) दिनांक 4 अक्तूबर, 2019
- (v) सा.का.नि. 665(ई) दिनांक 23 अक्तूबर, 2020

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

G.S.R. 664 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2021, made by the Board of Trustees for the Paradip Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Paradip Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely :-

- 1. Short Title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) (Amendment) Regulations, 2021.

- (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, (herein after referred to as Principal regulations) for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely :-

“Manner of Appointment .-

- 4.(1) All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment.

- (2) Appointments in respect of posts treated as Head of Department and posts one level below to the Head of Department, all the vacancies shall be filled by “Composite method of recruitment” through promotion or transfer on absorption basis failing which by deputation from the employees of the Major Ports, the Central Government, State Governments, Autonomous Bodies, Government Companies and failing both by direct recruitment.

- (3) The promotion or transfer on absorption shall be from the officers from the Major Port Trusts fulfilling the eligibility criteria prescribed in the Schedule annexed to these regulation.

- (4) Deputation shall be of employees from the Major Ports, the Central Government, State Governments or Autonomous Bodies or Government Companies fulfilling the eligibility criteria prescribed for the post:

Provided that an employee of a Board of any Major Port Trust shall not be eligible for deputation to the Head of Department level post in the Major Port Trusts.

(5) The normal period of deputation is three years, which is extendable to four years.

In exceptional circumstances, this can be extended to five years by the Central Government in the case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of Department and by the Chairman in the case of any other post below the level of Head of Department.”.

3. In the principal regulations, in the Schedule , -

(A) under the heading Recruitment Rules for Class-I posts under Administrative Department, PPT against Sl. No. 11 relating to the post of Secretary (Category-II Ports) , -

(a) In column 2, for the entries, the following entry shall be substituted, namely :-

"Secretary";

(b) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“ Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 - 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

(c) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

'Absorption through composite method:

i. Officers holding posts in the scale of pay Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the General Administration or Human Resources Development Department of a Major Port Trust shall be eligible

Deputation:

ii, Officers holding the post of Secretary and equivalent posts in the scale of pay Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Senior Deputy Secretary and equivalent posts in the General Administration Department or Human Resources Department in the scale of pay of Rs. 80000 - 220000/- and above, with five years regular service in the grade in Central Government or State Governments or Union Territory administration/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”;

(B) under the heading Recruitment Rules for Class-I Posts under Finance & Accounts Department, PPT against Sl. No. 5 relating to the post of Financial Advisor & Chief Accounts Officer (Category-II Ports) , -

(a) in column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Financial Advisor & Chief Accounts Officer";

(b) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“ Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

(c) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

' For absorption through composite method:

i. Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 - 220000/- with three years regular service in the grade in the Finance Department of a Major Port Trust shall be eligible;

Deputation:

ii. Officers holding posts of Financial Adviser and Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Department in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding posts of Senior Deputy Chief Accounts Officer and equivalent posts in the Finance Department in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”;

(C) under the heading Recruitment Rules for Class-I Posts under E&M Department, PPT against Sl. No. 9 relating to the post of Chief Mechanical Engineer (Category-II ports).-

a. in column 2, for entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Chief Mechanical Engineer”;

b. in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 –280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

c. in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

‘For absorption through composite method:

i. Officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000 – 240000/- with two years regular service or Officers holding posts in the pay scale of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in Mechanical and Electrical Engineering Department and Marine Department (applicable to categories of Marine Engineers only) in a Major Port Trust shall be eligible;

Deputation:

ii. Officers holding posts of Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mechanical and Electrical Engineering Department in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Deputy Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mechanical & Electrical Engineering Department in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- and above, with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”;

(D) under the heading Recruitment Rules for Class-I Posts under Traffic Department, PPT against Sl.No.5 relating to the post of Traffic Manager,-

a. in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 –280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

b. in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

‘For absorption through composite method:

i. Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the Traffic Department of a Major Port Trust shall be eligible.

Deputation:

ii. Officers holding posts of Traffic Manager and equivalent posts in the Traffic Department in the scale of pay of Rs.100000-260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Senior Deputy Traffic Manager and equivalent posts in the Traffic Department in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good”;

(E) under the heading Recruitment Rules for Class-I Posts under Medical Department, PPT against Sl. No. 5 relating to the post of Chief Medical Officer (Category-II Ports) ,-

(a) in column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Chief Medical Officer”;

(b) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

(c) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

‘For absorption through composite method:

- i. Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in the Medical Department of a Major Port Trust shall be eligible;

Deputation:

- ii. Officers holding the post of Chief Medical Officer and equivalent posts in the Medical Department in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding posts of Senior Deputy Chief Medical Officer and equivalent specialist posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- and above in the Medical Department with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”;

(F) under the heading Recruitment Rules for Class-I posts of Civil Engineering Department, PPT against Sl. No. 6 relating to the post of Chief Engineer,-

- a. in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-“Rs.1,00,000 - 260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

- b. in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

‘For absorption through composite method:

- i. Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000 – 220000/- with three years regular service in the grade in Civil Engineering Department in a Major Port Trust shall be eligible;

Deputation:

- ii. Officers holding the posts of Chief Engineer and equivalent posts in the Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Deputy Chief Engineer and equivalent posts in the Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs. 80000 – 220000/- and above with five years regular service in the grade in the Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”;

(G) under the heading Recruitment Rules for Class-I Posts under Marine Department, PPT against Sl. No. 1 relating to the post of Deputy Conservator (category II Ports) .-

- a. in column 2, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Deputy Conservator”;

- b. in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Rs.1,00,000 -260000/-

Note: The pay scale shall be upgraded to the scale of pay of Rs.120000 – 280000/- after completion of three years regular service with the approval of the Central Government.”;

- c. in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

‘For absorption through composite method:

- i. Officers holding posts of Harbour Master in the scale of pay of Rs. 100000 - 260000/- with one year regular service or Officers holding post of Harbour Master in the scale of pay of Rs.90000 – 240000/- with two years regular service in the grade in a Major Port Trust shall be eligible;

Deputation:

- ii. Officers holding post of Deputy Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs.100000 – 260000/- with two years regular service in the grade or officers holding post of Harbour Master and its equivalent Deck side posts in the scale of pay of Rs.90000 – 240000/- and above with four years regular service in the Central Government or State Governments or Union territory administration or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (other than Major Port Trusts) shall be eligible.

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”.

[File No. PR-24021/3/2021-PE-II]

VIKRAM SINGH), Jt. Secy.

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i) vide number G.S.R. No. 386(E) dated the 12th May, 2011, and was subsequently amended, vide number:-

- (i) G.S.R. 819 (E) dated 30th October, 2015;
- (ii) G.S.R. 1102 (E) dated 13th November, 2018;
- (iii) G.S.R. 1143 (E) dated 29th November, 2018;
- (iv) G.S.R. 759 (E) dated 4th October, 2019;
- (v) G.S.R. 665(E) dated 23rd October, 2020.